प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 03 सितम्बर, 2025**

विषयः-जनपद-पीलीभीत की तहसील-कलीनगर के राजस्व ग्राम-पिपरिया संतोष में सिंचाई विभाग की भूमि गाटा सं0-825, क्षे0-24.641 हे0 (भूमि नान जेड0ए0) में से 15.00 हे0 भूमि पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-7846/6-1-1(बरेली मण्डल/भूमि)/2024-25 दिनांक 24.12.2024 एवं पत्र संख्या-156850 /6-1-1/(बरेली मण्डल/भूमि) 2024-25 दिनांक 08.05.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-पीलीभीत की तहसील-कलीनगर के राजस्व ग्राम-पिपरिया संतोष में सिंचाई विभाग की भूमि गाटा सं0-825, क्षे0-24.641 हे0 (भूमि नान जेड0ए0) में से 15.00 हे0 भूमि पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2. वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की प्राथमिकता है। उ0प्र0 में ईको टूरिज्म इस समय विकास के दौर से गुजर रहा है, राज्य सरकार दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ जैसे बाघ अभ्यारण्यों में ईको-टूरिज्म को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसमें

अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

कनेक्टिविटी को मजबूत करना, जंगल सफारी को पुनर्जीवित करना और आगंतुकों के लिए सुविधाएँ विकसित करना शामिल है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। हाल ही में राज्य सरकार ने लखनऊ और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बीच हवाई सम्पर्क शुरू किया है। उ0प्र0 देश का पहला राज्य है, जिसने वन्यजीव क्षेत्र को हवाई सम्पर्क प्रदान किया है। इसके आलावा राज्य सरकार पी0पी0पी0 मोड के माध्यम से निजी संस्थाओं के साथ साझेदारी में अद्वितीय पर्यटन अनुभव के लिए विश्वस्तरीय सुविधायें स्थापित करने के लिए योजना बना रही है। वन्यजीव आवासों को संरक्षित करते हुए ईको-टूरिज्म अनुभव को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार के पास ईको-टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रबन्धित करने के लिए समर्पित नीतियाँ और एक समर्पित ईको-टूरिज्म विकास बोर्ड है। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य में पर्यटकों हेतु अति अल्प पर्यटकीय अवस्थापना सुविधाएँ हैं। अतः पर्यटकों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य के बाहर पर्यटकीय सुविधा का सृजन किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

3. ईको-टूरिज्म एक तेजी से बढ़ता हुआ उद्योग है, जो अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैश्विक ईको-टूरिज्म बाजार का मूल्य वर्ष 2023 में 216.49 विलियन डालर था और वर्ष 2032 तक इसके 759.93 विलियन डालर तक बढ़ने का अनुमान है। ईको-टूरिज्म बाजार के 2024 से 2032 तक 14.31 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ने का अनुमान है। ईको-टूरिज्म खनन, लॉगिंग और अवैध शिकार जैसे नकारात्मक बाहरी प्रभावों को रोक सकता है, पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) को बढ़ावा दे सकता है तथा ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण से बचाव कर सकता है। बड़े उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्र तटों और पुरातात्विक खंडहरों वाले विकासशील देश विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए ईको-टूरिज्म में निवेश कर रहे हैं। शहरी भीड़-भाड़, प्रदूषण और प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति चिन्ता के कारण गुणवत्ता पूर्ण इको-टूरिज्म के स्थलों की मांग बढ़ रही है। देश व विदेश में प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर स्थलों, अभ्यारण्य, प्राकृतिक विविधता वाले क्षेत्र मानव को सर्वदा आकर्षित करते रहे हैं। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भारत-नेपाल सीमा की तराई में विस्तारित अति सुरम्य वन्य क्षेत्र समृद्ध प्राकृतिक सौन्दर्य से युक्त विविधता पूर्ण क्षेत्र है।

अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. पीलीभीत स्थित सिंचाई विभाग की उक्त भूमि खटीमा-पूरनपुर मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। पर्यटकीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास हो जाने से यहॉ आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं की संख्या में वृद्धि होगी। इससे आम जन के लिए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे।

5. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-पीलीभीत की तहसील-कलीनगर के राजस्व ग्राम-पिपरिया संतोष में सिंचाई विभाग की भूमि गाटा सं0-825, क्षे0-24.641 हे0 (भूमि नान जेड0ए0) में से 15.00 हे0 भूमि पर्यटकीय सुविधाओं के निर्माण हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद् द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

(क) जनपद-पीलीभीत की तहसील-कलीनगर के राजस्व ग्राम पिपरिया संतोष में सिंचाई विभाग की भूमि गाटा सं0-825, क्षे0-24.641 हे0 (भूमि नान जेड0ए0) में से 15.00 हे0 भूमि ईको टूरिज्म पर्यटको के लिए अवस्थापना सुविधाओं यथा टेन्ट सिटी, कोटेजेज, कैफेटेरिया, प्ले एरिया, एडवेन्चर स्पोर्ट्स आदि हेतु पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तान्तरण किया जायेगा

(ख) प्रकरण में आवश्यकतानुसार अग्रेतर निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

6. प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

(1) प्रश्नगत भूमि पर पर्यटन विकास सम्बन्धी नियोजन एवं अभिकल्पन ईको-फ्रेंडली तरीके से किया जाय।

(2) प्रस्तावित स्थल पर स्थित वृक्षों की सुरक्षा आवश्यक है जो मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों की परिधि में आते हैं।

(3) प्रस्तावित भूमि पर पर वर्षा ऋतु में जल भराव हो जाता है तथा वर्षा ऋतु में जल भराव की स्थिति में किसी प्रकार का निर्माण/संरचना से पूर्व तकनीकी परीक्षण व अन्य आवश्यक उपायो को सुनिश्चित किया जाये।

(4) मा0 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर पारित आदेशों के अनुपालन का दायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा। समस्त

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

राजस्व अभिलेखों की पुष्टि करने का दायित्व पर्यटन निदेशालय का होगा। पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रस्तावित भूमि के हस्तान्तरण से सम्बन्धित समस्त राजस्व अभिलेखो की पुष्टि करने के उपरांत ही कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
3- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
4- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
वित्त विभाग/न्याय विभाग/राजस्व विभाग/सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त बरेली मण्डल, बरेली ।
7- जिलाधिकारी, पीलीभीत।
8- निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- उप निदेशक पर्यटन, बरेली मण्डल, बरेली।
10- गार्ड-फाइल।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in